


भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

TEN
RUPEES

Rs.10




INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सेवा में,

श्रीमान निर्वाचन अधिकारी महोदय,
लखीमपुर-खीरी

शपथ पत्र मिनजानिब मलखान सिंह राजपूत उम्र
75 वर्ष पुत्र श्री मोती सिंह निवासी सुनदयाई
पोस्ट रामपुर तहसील आरोन जिला गुना मध्य
प्रदेश



मसऊद रहमिद खॉ एडवोकेट
नोटरी-NOTARY
जनपद मुजफ्फर नखीमपुर-खीरी (2019)

श्रीमान जी ,

शपथकर्ता सशपथ पूर्वक निम्न बयान करता है कि:-

धारा -1

यह कि लखीमपुर खीरी जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष(जिला, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) श्री मलखान सिंह राजपूत पुत्र श्री मोती सिंह आयु 75 वर्ष निवासी सुनदयाई पोस्ट रामपुर तहसील आरोन जिला गुना मध्य प्रदेश एतद्वारा इमानदारी एवं सत्य निष्ठा पूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूं :-

धारा -1

यह कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के लोकसभा/विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में 29 धौरहरा संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था, जिसका परिणाम 23.05.2019 को घोषित किया गया था।

धारा -2

यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में दिनांक 19.05.2019 (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं इसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता ने मेरे व मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।

मसऊद रहमिद खॉ एडवोकेट
नोटरी-NOTARY
जनपद मुजफ्फर नखीमपुर-खीरी (2019)

शेष पेज 2 पर

धारा -3 यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिये गये रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर, इस लेखा में उल्लिखित वाउचर/विल के साथ संलग्न है।

धारा -4 यह कि निर्वाचन के सम्बन्ध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रयोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल है एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के सम्बन्ध में किये गये व्यय को छोड़कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।

धारा -5 यह कि निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त लेखा के संलग्नक-II में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार के विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य संगठन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल है।

धारा -6 यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

दिनांक-19.06.2019

श्री. मल्लिकार्जुन सिंह

I know and declare before
the Notary Public that
I have signed these

M. Mallikarjun Singh

19.6.2019

पंजीकृत किया जाता है कि श्री. मल्लिकार्जुन सिंह
जिनकी पसंदाश श्री. नो. 196/19
भा.ज. के अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राधिकृत
किया कि सचिव के सम्बन्ध में उक्त व्ययों के
की शर्त नहीं है। शपथ पत्र पढ़कर मुझे पता चला कि
नाराज अहमद श्री. एडवोकेट
नोटरी-NOTARY
तानापुर मुहम्मद जरीनपुर-सीरी (दिल्ली)